<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-46/2021/1760999/2021/-2/142/2021</u>

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- समस्त उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉकः 13 अगस्त, 2021

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों से फसल बुवाई, मध्यवर्ती हानि अथवा कतिपय प्रकरणों में व्यक्तिगत खेतों की हानि तथा विभिन्न कारणों से उत्पाद में हानि पर बीमा अनुबन्ध बीमा कम्पनियों द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाया जाता है। क्षतिपूर्ति का आधार बीमा कम्पनियों की उपस्थिति में कराये गये सर्वेक्षण तथा कटाई से पहले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेण्ट किया जाता है।

2. जिला प्रशासन व कृषि विभाग के अधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि किसानों को नये दिशा निर्देश के अनुसार सभी लाभ समय से प्राप्त हो जाये। इसको सुनिश्चित कराने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही अनिवार्य रूप से कराई जाये।

(i) स्थानीय आपदा को छोड़कर अन्य आपदा में जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक को स्वयं संज्ञान लेना है। स्थानीय आपदा- ओलावृष्टि, जलभराव (धान को छोड़कर), बादल फटना, भू-स्खलन एवं आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति में, प्रभावित कृषक से 72 घण्टे में सूचना प्राप्त होने पर उसका सर्वेक्षण कराते हुए क्षतिपूर्ति कराये जाने का प्राविधान है। अतः यह सुनिश्चित कराया जाये कि बीमा कम्पनियों के कार्यालयों के फोन/मोबाइल तथा टोल फ्री नम्बर अनिवार्य रूप से कार्यरत रहे जिससे किसान आपदा से हुई फसल हानि की सूचना उपलब्ध करा दे। मोबाइल/फोन तथा टोल फ्री नम्बर के काम न करने की दशा में तत्काल उच्च स्तर पर सूचना दी जाये तथा बीमा कम्पनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही व अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जाये।

(ii) बीमा कम्पनियों को जनपद व तहसील स्तर पर कार्यालय खोलने के स्पष्ट निर्देश हैं। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि बीमा कम्पनियों के कार्यालय अनिवार्य रूप से स्थापित हों और नियमित रूप से खुले हुए हों तथा वहॉ अधिकारी व कर्मचारी नियमित रूप से कृषकों की समस्याओं का निस्तारण करा रहे हों।

(iii) अगर किसी किसान द्वारा जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक अथवा अन्य अधिकारियों से बीमा कराने के पश्चात बीमित होने तथा फसल की क्षति होने के पश्चात बीमा कम्पनियों द्वारा क्षति पूर्ति न दिये जाने की शिकायत की जाती है तो उसका एक पक्ष के अन्दर अनिवार्य रूप से निराकरण कराना सुनिश्चित कराया जाये।

http://srisamadesh.up.gov.in

(iv) आपदा की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त निरीक्षण शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित कराया जाये जिससे क्षतिपूर्ति का आकलन कराते हुए कृषकों को त्वरित लाभ मिल सके। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा भी जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक द्वारा किया जाये।

3. फसल कटाई प्रयोग समय से पूरे हों तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। फसल कटाई प्रयोग स्थानीय कृषकों की उपस्थिति में हो। फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट पर उक्त को सम्पन्न कराने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के हस्ताक्षर तथा उपस्थित कृषकों के हस्ताक्षर कर कार्यालय में अवश्य जमा कराया जाये। साथ ही साथ चिन्हित प्लॉट पर की गई कार्यवाही की फोटो भी अपलोड कराया जाये।

4. जिलाधिकारी स्वयं यह सुनिश्चित करायें कि फसल कटाई प्रयोग प्रभावी ढंग से सभी स्थानों पर समय से करा लिया जाये और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं की जाये जिससे कि फसलों की उत्पादकता का सही आकलन कर कृषकों को क्षति पूर्ति की जा सके।

5. कृषि सॉख्यिकी निदेशालय का यह दायित्व होगा कि वह क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेण्ट के आधार पर अपने स्तर से स्वयं आकलन करेंगे कि किस ग्राम पंचायत में कितने कृषकों को कितनी क्षति पूर्ति बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। यह कार्यवाही क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेण्ट के नतीजे प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सुनिश्चित करा लिया जाये।

उपरोक्त आकलन को बीमा कम्पनियों की क्षति पूर्ति के आकलन से मिलान करते हुए यह देखा जाएगा कि बीमा कम्पनियों द्वारा औचित्यपूर्ण भुगतान किया गया है अथवा नहीं और कम भुगतान होने की स्थिति में ऐसे प्रकरणों को बीमा कम्पनियों के माध्यम से पुनः भुगतान हेतु कार्यवाहीं की जाये।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:46/2021/1760999(1)/2021/-2/142/2021, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in